

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

कलापि बनाम डाकिम सिंह

किस्म मुकदमा दाख नं. 8/14 सन्

जनसुच लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
---------------	---------------------------------	--

23/5/18

आज यह पक्षी राजस लोक अदालत
कमिशनर माद डापके द्वार से सुनवाई
में पेश हुई। पक्षकार डाकिम सपडास
की अपील वापिस हाथ यह वापिस
जो स्वार्थ सिव दाय के प्राय करने एवं
बचारे वापर पेड सिपडे पक्षकार
में विवादि कराने के वापर पूर्व में वापिस
है। जिसमें धारा 1357 के डाकिम 18
प्राय हुई है विवादि कराने के न 1357
1358, 1359, 1360 के अन्तर्गत सुनवाई
में प्रत्येक सिव हाथ है, एवं दूसरे के
काले कास्ट में इच्छेय न करने वापर
विवादि सिपडे।

इस शय वादी शोमिपु रूप से
18 में सिपड प्राप्त पक्षकारान के प्राय
स्वार्थ सिव दाय के सिपड जहा है कि
के विवादि कराने के न 1357 शय
वादीय 09 सिव एवं 1358 शय वादीय
04 सिव सिपड हाथ सिव सुनवाई में
एवं दूसरे के काले कास्ट में काले इच्छेय
न करे। पर्य 18 प्राय है। पक्षकार
फैडल सुमाद अकर वाप तबकीय दाख
दखल है। उक्त सुनाया गया

उम खण्डाधिकारी
राजाखेड़ा